श्रवण और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थिएटरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन तक पहुंच के मानकों संबंधी दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

15 मार्च, 2024

प्रस्तावना

जबकि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को उनके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के निरपेक्ष विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें आगे कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
जबकि दिव्यांगजनों को भी संविधान के अनुसार देश के किसी भी अन्य नागरिक के बराबर और समान अधिकार प्राप्त हैं।

जबकि भारत दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी अथवा ''कन्वेंशन'') का हस्ताक्षरकर्ता है जो मई, 2008 में लागू हुआ था। यह कन्वेंशन पहुंच को एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है और हस्ताक्षरकर्ताओं को उचित उपायों को अपनाना अनिवार्य है ताकि दिव्यांगजनों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आपातकालीन सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं तक दूसरों के साथ समान आधार पर पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

जबकि दिसंबर 2015 में, भारत सरकार ने 'द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन' शुरू किया, जिसे 'सुगम्य भारत अभियान' के रूप में भी जाना जाता है, ताकि दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक पहुंच और विकास के समान अवसर प्राप्त करने, स्वतंत्र जीवन जीने तथा जीवन के सभी पहलुओं में भागीदारी में सक्षम बनाया जा सके। यह अभियान देश में अवसंरचना, सूचना और संचार प्रणालियों में महत्वपूर्ण बदलाव कर पहुंच बढ़ाने का प्रयास करता है।

जबकि भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम) को भी यह अधिनियमित किया, जो दिव्यांगजनों से संबंधित प्रमुख और व्यापक कानून है। यह अधिनियम दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को दूर कर एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने की भी सिफारिश की गई है जिससे वे किसी भी अन्य नागरिक के रूप में विकास के लाभार्थी बन सकें।

जबकि अधिनियम की धारा 29 में समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सभी दिव्यांगजनों के सांस्कृतिक जीवन जीने और मनोरंजनात्मक

कार्यकलापों में अन्य लोगों के समान भाग लेने के अधिकारों को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने के उपाय करें। धारा 40 में केंद्र सरकार से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा अन्य सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार के लिए पहुंच संबंधी मानकों को निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है। धारा 42 में समुचित सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है कि दिव्यांगजनों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच इस तरीके से हो कि ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सामग्री सुलभ प्रारूप में हो; दिव्यांगजनों को ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच प्राप्त हों और सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और उपकरण जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए हैं, सार्वभौमिक डिजाइन में उपलब्ध हों।

जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ,2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए पहुंच मानक तैयार करने के लिए 27सितम्बर , 2017 को विशेषज्ञों और हितधारकों की एक समिति गठित की थी। विचार-विमर्श के बाद मंत्रालय ने टेलीविजन कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच मानक तैयार किए और 11 सितम्बर ,2019 को उन्हें जारी किया।

जबकि मनोरंजन और एंटरटेनमेंट स्पेस के क्षेत्र को सुलभ बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए ,मंत्रालय ने 1अक्टूबर ,2019 को देश में फिल्म निर्माता संघों को एक एडवाइजरी जारी की ,जिसमें कहा गया कि वे ऑडियो विवरण के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए सिनेमा को अधिक सुलभ बनाने के लिए कदम उठाएं।

जबकि सिनेमा को सुलभ बनाने के लिए फिल्म उद्योग के साथ जुड़ाव जारी रखते हुए , मंत्रालय ने 14जनवरी ,2021 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को दिव्यांगजनों के लिए सिनेमा देखने के लिए पहुंच मानकों पर विभिन्न हितधारकों के साथ जागरूकता और संवेदीकरण कार्यशालाओं के संचालन की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा। इसके बाद ,6 अप्रैल ,2023 को मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से खुले बाजार से एक रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से श्रवण और दृश्य बाधित व्यक्तियों के लिए फिल्मों तक पहुंच पर प्रौद्योगिकी समाधान आमंत्रित करने का अनुरोध किया और इन समाधानों के तकनीकी मूल्यांकन के बाद ,इन्हें कार्यशालाओं के माध्यम से फिल्म उद्योग में प्रसारित किया जा सकता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा 16मई ,2023 को श्रवण और दृश्य बाधित सहित दिव्यांगजनों के लिए फिल्मों तक पहुंच के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को आमंत्रित करते हुए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई

थी। प्रस्ताव प्राप्त होने और तकनीकी रूप से मूल्यांकन करने के बाद ,25 जुलाई ,2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यशाला में प्रदर्शकों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया गया।

जबकि विभिन्न परामर्शों में प्राप्त तकनीकी समाधानों और फिल्म उद्योग की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ,सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार; मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय विविध दिव्यांग संस्थान से तकनीकी सलाह मांगी है।

फिल्म उद्योग, श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संघों, भारत सरकार के निकायों एवं विभागों तथा अन्य के साथ परामर्श करके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किए गए विस्तृत अभ्यास के आधार पर मंत्रालय ने श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थियेटरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में पहुंच मानकों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

****

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
शास्त्री भवन ,नई दिल्ली-110001

दिनांक :15 मार्च ,2024

श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थियेटरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन तक पहुंच संबंधी मानक दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि और कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि

1.1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ,2016 की धारा 29और धारा 42, समुचित सरकार को सूचना और संचार क्षेत्र में सार्वभौमिक सेवा और सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने का अधिकार देती है ,जिसमें श्रवण और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए फिल्मों तक पहुँच शामिल है। धारा 40और 44में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देशों और स्थान मानकों के अनुसार सभी सार्वजनिक भवनों के लिए भवन योजनाओं के तहत स्वीकृत पहुँच मानकों और पहुँच सुविधाओं के निर्माण का अनिवार्य अनुपालन करने का प्रावधान है।

1.2 ये दिशानिर्देश श्रवण और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन तक पहुंच के लिए मानक निर्धारित करते हैं। ये दिशा-निर्देश उन फीचर फिल्मों के लिए लागू हैं जिन्हें व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए सिनेमा हॉल/मूवी थिएटर में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों का फोकस केवल विषय-वस्तु पर ही नहीं है ,बल्कि दिव्यांगजनों द्वारा सिनेमा थिएटर में फिल्मों का आनंद लेने के लिए आवश्यक जानकारी ,सहायक उपकरण और अन्य सहायता पर भी है।

1.3 लागू होने की प्रभावी तिथि दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि होगी।

2. परिभाषाएँ

"**अधिनियम** "का तात्पर्य दिव्यांगजन अधिकार(आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम ,2016 से है ।

"**पहुँच सेवा** "से तात्पर्य ऐसी सेवा जैसे उप-शीर्षक ,क्लोज्ड कैप्शनिंग ,ऑडियो विवरण और

संकेतन से है ,जो श्रवण एवं दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए फिल्म तक पहुँच में सुधार करती है।

"**समुचित सरकार**" को दिव्यांगजन अधिकार)आरपीडब्ल्यूडी (अधिनियम ,2016 के तहत परिभाषित किया गया है।

"**ऑडियो विवरण** "दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए फिल्म देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए फिल्म में दृश्य का श्रवण वर्णन है। संवाद के अंतराल के दौरान ,यह दृश्य तत्वों जैसे दृश्यों ,सेटिंग्स ,क्रियाओं और वेशभूषा का वर्णन करता है।

"**सिनेमा** "का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जिसे चलचित्र अधिनियम ,1952 (1952 का 37) के भाग IIIके तहत या किसी राज्य में उस समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत चलचित्र फिल्म के प्रदर्शन के लिए लाइसेंस दिया गया हो।

"सिनेमैटोग्राफ" में मूव करती हुई तस्वीरों या तस्वीरों की श्रृंखला के लिए कोई भी उपकरण शामिल हो।

"क्लोज्ड कैप्शनिंग" वह साधन है जिसके द्वारा किसी फिल्म के ऑडियो संवाद और ध्वनि प्रतिनिधित्व दोनों को उपयोगकर्ता द्वारा ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट के माध्यम से मांग पर विजिबल बनाया जाता है जो ऑडियो सामग्री के साथ सिंक्रनाइज़ होता है।

"फीचर फिल्म" का अर्थ है एक काल्पनिक कहानी वाली फिल्म जो 72 मिनट से कम की नहीं होती है।

"फिल्म एक्सेसिबिलिटी इंडिकेटर" का अर्थ है फिल्म शेड्यूल में किस फिल्म के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक्सेस सर्विस आइकन या बड़े अक्षर हैं। ऑडियो-वर्णित को "(AD)" द्वारा दर्शाया जाता है, क्लोज्ड-कैप्शनिंग को "(CC)" द्वारा दर्शाया जाता है और भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या को "(ISL)" द्वारा दर्शाया जाता है।

"फिल्म इंडस्ट्री" में फिल्म निर्माण के तकनीकी और वाणिज्यिक संस्थान शामिल हैं।

"फिल्म प्रमोशन" फिल्म उद्योग में विशेष रूप से प्रमोशन की प्रथा है, और यह आमतौर पर फिल्म वितरण की प्रक्रिया के समन्वय में होती है।

"इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर" एक प्रमाणित इंटरप्रेटर है जो मूक और बधिर व्यक्तियों को संचार पहुँच प्रदान करने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है।

"प्रोमोशनल वीडियो" में प्रचार उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली फिल्मों के टीज़र और ट्रेलर शामिल हैं जो विशेष रूप से उन प्रचार फिल्मों को संदर्भित करते हैं जिन्हें वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए सिनेमाघरों में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है।

"ओपन कैप्शनिंग" वह कैप्शनिंग है जो पिक्चर का एक अभिन्न अंग है और इसे बंद नहीं किया जा सकता है और कैप्शन या उपशीर्षक देखने के लिए उपयोगकर्ता को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

"साइनिंग (या सांकेतिक भाषा)" सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संचार करना है। सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जो ध्वनिक रूप से व्यक्त ध्वनि पैटर्न के बजाय, अर्थ व्यक्त करने के लिए दृश्य रूप से प्रसारित संकेत पैटर्न (मैनुअल संचार, शारीरिक भाषा) का उपयोग करती है - एक वक्ता के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए हाथों की आकृतियाँ, हाथों, भुजाओं या शरीर की दिशा और गति, तथा चेहरे के भावों को एक साथ जोड़ती है।

"सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटेशन" भारतीय सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटरों द्वारा श्रवण बाधित दर्शकों के लिए सांकेतिक भाषा में व्यक्त की गई फिल्म ऑडियो (भाषण और अन्य ध्वनियाँ) का अनुवादित संस्करण है। जब भी भारतीय संदर्भ में 'सांकेतिक भाषा' का संदर्भ दिया जाता है, तो इसका संदर्भ 'भारतीय सांकेतिक भाषा' (आईएसएल) नामक इसके एक रूप से लिया जाएगा।

3. उद्देश्य

3.1 शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश तक पहुँच दिव्यांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार और सभी नागरिकों को मिलने वाली मौलिक स्वतंत्रता का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। इसकी फ़िल्में, सूचना और संचार क्षेत्र में एक सक्षम भूमिका निभाती हैं। निम्नलिखित सिद्धांत इन दिशा-निर्देशों का आधार हैं:

- भेदभाव-रहित;
- पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और समाज में समावेश;
- उपलब्धता;
- एडवाइजरी; और
- सामर्थ्य

3.2 इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य निम्नलिखित उपायों को अपनाकर श्रवण एवं दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए फीचर फिल्मों तक पहुंच की संस्कृति का विकास करने के लिए एक तक सक्षम ढांचा प्रदान करना है:

3.2.1 फीचर फिल्मों की पहुंच के लिए सामान्य सिद्धांतों को परिभाषित करना;

3.2.2 ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रासंगिक नियमों, आवश्यकताओं, मानकों और वित्त पोषण तंत्रों का मूल्यांकन करके फीचर फिल्मों की बाधाओं की पहचान करना;

3.2.3 यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि श्रवण और दृश्य बाधित व्यक्तियों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रदर्शित सिनेमा हॉल/मूवी थिएटरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन तक, दूसरों के साथ समान आधार पर पहुंच प्राप्त हो;

3.2.4 **पारदर्शी निगरानी और निष्पक्ष विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत ढांचे को परिभाषित करना।**

4. एक्सेसिबिलिटी मानक

4.1 ऑडियो विवरण के लिए दिशानिर्देश: विवरण को इतना संक्षिप्त रखा जाना चाहिए कि वह आवंटित समय में समाहित हो जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मूल सीन को बेहतर बनाएं न कि उससे ध्यान भटकाए।

4.2 क्लोज्ड और ओपन कैप्शनिंग दिशानिर्देश:

4.2.1 सटीक: कैप्शन को संवाद में बोले गए शब्दों से मेल खाना चाहिए। इसके अलावा, कैप्शन को पृष्ठभूमि शोर और अन्य ध्वनियों को व्यक्त करना चाहिए। मूड, दृश्य और संवाद के संदर्भ को प्रदान करने के लिए गैर श्रवण जानकारी को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए, दरवाजे की घंटी बजना या दरवाजा बंद होने की चरमराहट।

4.2.2 सिंक्रनाइज़: कैप्शन को यथासंभव अधिकतम सीमा तक उनके संबंधित बोले गए शब्दों और ध्वनियों के साथ मेल खाना चाहिए और स्क्रीन पर उस गति से प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिसे दर्शक पढ़ सकें।

4.2.3 पूर्णता: कैप्शन को कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक यथासंभव पूर्ण सीमा तक चलना चाहिए।

4.2.4 वर्तनी और व्याकरण: कैप्शन में सटीक वर्तनी का उपयोग किया जाना चाहिए। स्क्रीन पर कही जा रही बातें व्याकरण की दृष्टि से सही होनी चाहिए। कैप्शनिंग टेक्स्ट के गैर-मौखिक भागों को लिखते समय उचित व्याकरण के उपयोग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

4.2.5 कैप्शनिंग की स्थिति: कैप्शन को स्क्रीन पर अन्य महत्वपूर्ण दृश्य सामग्री को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए या वीडियो स्क्रीन के किनारे से बाहर नहीं निकलना चाहिए।

4.2.6 केस, इटैलिक और अंडरलाइनिंग: कैप्शन में मिश्रित केस का उपयोग किया जाना चाहिए। कैप्शनिंग टेक्स्ट के लिए सभी अपर कैप्स या सभी लोअर कैप्स का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वीडियो को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक न हो। जोर देने के लिए, टेक्स्ट को रेखांकित करने के बजाय इटैलिक का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

4.2.7 रंग: कैप्शन को काले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद टेक्स्ट के रूप में दिखना चाहिए।

4.3 भारतीय सांकेतिक भाषा दिशानिर्देश: इंटरप्रेटर द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा की व्याख्या पिक्चर-इन-पिक्चर मोड में प्रदान की जानी चाहिए और यह सटीक, सिंक्रनाइज़ होनी चाहिए और श्रवण बाधितों को स्पष्ट समझ आनी चाहिए। जहां भारतीय सांकेतिक भाषा की व्याख्या प्रदान की जाती है, यह इस तरह से होनी चाहिए कि दर्शक न केवल इंटरप्रेटर के हाथों को बल्कि चेहरे के भावों को भी देख सके। मूल फिल्म पर इंटरप्रेटर की छवि आम तौर पर स्क्रीन के नीचे-दाएं हाथ की ओर दिखाई देनी चाहिए।

5. एक्सेसिबिलिटी इन फीचर फिल्म

5.1. सिनेमा हॉल में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित फीचर फिल्मों में एक्सेसिबिलिटी संबंधी विशेषताएं फिल्म के निर्माता द्वारा प्रदान की जाएंगी।

5.2 निर्माता को सीबीएफसी को फिल्म के प्रमाणन के लिए आवेदन करते समय डिजिटल सिनेमा पैकेज के रूप में फिल्म को सीबीएफसी को सौंपना होगा, जिसमें एक्सेसिबिलिटी संबंधी विशेषताओं वाली फाइलें जैसे ऑडियो विवरण, क्लोज्ड कैप्शनिंग/भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या सहित सभी प्रासंगिक फाइलें शामिल होंगी।

5.3. सिनेमाघरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिनेमाघरों में रिलीज के लिए वितरित की जा रही फीचर फिल्मों में सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित एक्सेसिबिलिटी संबंधी विशेषताओं वाली फाइलों सहित सभी प्रासंगिक फाइलें अनिवार्य रूप से हों। सीबीएफसी अब से यह सुनिश्चित करेगा कि सिनेमाघरों में रिलीज के लिए वितरित की जा रही फीचर फिल्मों के लिए तदनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

5.4 सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जा रही फिल्मों की एक्सेसिबल संबंधी विशेषताओं का उपयोग सिनेमा थिएटर के लाइसेंसधारियों द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से किया जा सकता है:

i. थिएटर में (नियमित शो के दौरान**) निम्नलिखित अलग-अलग उपकरणों का उपयोग करना**-

क. मिरर कैप्शन - मूवी के इनवर्टेड कैप्शन सिनेमा के पीछे चलाए जाते हैं। एक मिरर प्रदान किया जाता है जिसे कप होल्डर और सीट में संग्रहीत किया जा सकता है, और इसे इस तरह से समायोजित किया जा सकता है कि कोई उस मिरर में कैप्शन देख सके। मूवी देखते समय क्लोज्ड कैप्शन (सीसी) दर्पण में सही तरीके से दिखाई देते हैं।

ख. क्लोज्ड कैप्शनिंग स्मार्ट ग्लासेस वायर के साथ, जिसमें कैप्शन **ग्लासेस** के नीचे प्रदर्शित होते हैं।

ग. क्लोज्ड कैप्शन स्टैंड - दर्शक के बगल में एक लचीला लंबा पोल जो कैप्शन प्रदर्शित करने के लिए एक छोटी आयताकार स्क्रीन से जुड़ा होता है।

घ. स्क्रीन के नीचे क्लोज्ड कैप्शन डिस्प्ले - कैप्शन/उपशीर्षक के सिंक्रनाइज़ प्रोजेक्शन डिस्प्ले के साथ बड़ी स्क्रीन के ठीक नीचे एक अलग छोटी स्क्रीन।

ङ. ऑडियो विवरण (एडी) के लिए हेडफोन/ईयरफ़ोन - ऑडियो विवरण विशिष्ट एडी-इनेबल सीटों से जुड़े हेडफोन या ईयरफ़ोन के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

ii. मोबाइल ऐप्स का उपयोग करना (नियमित शो के दौरान) - फिल्म निर्माता सिनेमाघरों में फिल्म की किसी भी सामान्य स्क्रीनिंग में एक्सेसिबिलिटी सुविधा का विस्तार करने के लिए किसी भी उपयुक्त सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन में फिल्म के लिए सीसी और एडी को एकीकृत करने का प्रयास करेंगे, जिसे उपयोगकर्ता अपने वैयक्तिक डिवाइस पर उपयोग के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।

iii. अन्य तकनीकों का उपयोग बाजार में उपलब्ध :उपयोगी सहायक उपकरणों और सॉफ्टवेयर/ एप्लीकेशनों के रूप में किसी अन्य तकनीकी इनपुट का उपयोग।

5.5. फीचर फिल्मों में श्रवण या दृश्य दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, फिल्म उद्योग को ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बने संगठनों के साथ सहयोग और काम करना आवश्यक है।

5.6. समुचित सरकार अपने द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त फिल्मों में पहुंच मानकों के अनिवार्य वित्तपोषण पर विचार कर सकती है। सरकार अपने द्वारा आयोजित या समर्थित राज्य पुरस्कारों और फिल्म समारोहों में पात्र होने के लिए फिल्मों में पहुंच मानकों को अनिवार्य भी बना सकती हैं।

5.7 समुचित सरकार विनियमों, लाइसेंस शर्तों, पहुंच लक्ष्यों और अच्छी आचरण संहिताओं तथा अन्य प्रासंगिक उपायों के माध्यम से उपर्युक्त पहुंच उपायों को अनिवार्य बना सकती है।

6. कार्यान्वयन अनुसूची

6.1 फिल्मों के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए प्रमाणन हेतु आवेदकों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार अपनी फिल्मों के लिए पहुंच:सेवा की व्यवस्था करनी होगी-

क (इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से 6 माह के भीतर सभी फीचर फिल्मों को, जिन्हें एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणित किया जाना है उन्हें ,श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित व्यक्तियों, अर्थात् सीसीओसी और एडी/, के लिए कम से कम एक सुलभता फीचर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

ख(राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोवा और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्य फिल्म महोत्सवों के भारतीय पैनोरमा खंड में विचार के लिए प्रस्तुत फीचर फिल्मों में जनवरी 1, से अनिवार्य रूप से 2025क्लोज्ड कैप्शनिंग और ऑडियो विवरण शामिल करना होगा।

गअन्य (सभी फीचर फिल्में टीजर और ट्रेलर सहित, जिन्हें सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है और जो सिनेमाघरों में रिलीज के लिए हैं (डिजिटल फीचर फिल्में), उन्हें इन दिशा-ओसी और एडी के लिए /वर्ष की अवधि के भीतर सीसी 2 निर्देशों के जारी होने की तारीख से अनिवार्य रूप सेपहुंच सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

6.ओसी /फिल्म निर्माता फीचर फिल्म के लिए सीसी :मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पहुंच 2 और एडी को किसी उपयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में एकीकृत करने का प्रयास करेंगे, ताकि सिनेमाघरों में फिल्म की किसी भी सामान्य स्क्रीनिंग में पहुंच सुविधा का विस्तार किया जा सके, जिसका उपयोग उपयोगकर्ता के वैयक्तिक डिवाइस के माध्यम से किया जा सके।

6. निर्माता को दर्शकों के लाभ के लिए टीज़र और ट्रेलर सहित प्रत्येक प्रमाणित फिल्म पर 3 कंटेंट तक पहुंच बनाने के लिए सामग्री विवरण को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

6.सिनेमा थिएट 4रों को इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर पैरा 5. में उल्लिखित 4पहुंच सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

7. प्रदर्शकों की भूमिका

7. समावेशी 1व्यूविंग को बढ़ावा देने के लिए, सिनेमा थिएटरों को नियमित शो में सीसी और एडी दोनों के लिए प्रति उपकरण उपलब्ध कराकर 5 से 2 सीटों पर कम से कम 200पहुंच सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

7.सिनेमा को नियमित फिल् 2म शो में उपयुक्त पहुंच सुविधाएं ,पैरा 5. 4(i) और)ii) में

उल्लिखित ,भी प्रदान करनी होंगी।

7. सिनेमा थिएटर मांग पर 3एसेसिबल फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करने पर विचार कर सकते हैं

7.प्रदर्शकों को अगले दो वर्षों के 4 लिए वार्षिक कार्य योजनाएँ बनानी होंगी। उन्हें दो वर्षों की अवधि के भीतर पहुंच सुविधाओं के साथ अपेक्षित संख्या में सीटें उपलब्ध कराने के लिए एक स्व-विनियामक तंत्र विकसित करना होगा। ये कार्य योजनाएँ संबंधित दिव्यांग व्यक्तियों के साथ स्थानीय हितधारक परामर्श करने के बाद तैयार की जाएँगी। कुछ क्षेत्रों में श्रवण बाधित व्यक्तियों की संख्या अधिक हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में दृष्टि बाधित व्यक्तियों की संख्या अधिक हो सकती है। वार्षिक कार्य योजना तैयार करने से पहले किए जाने वाले ऐसे परामर्श, प्रदर्शकों को क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की ज़रूरतों के बारे में शिक्षित करेंगे और साथ ही पहुंच सुविधाएँ लागू होने पर अतिरिक्त फ़िल्म दर्शक प्राप्त होने से व्यापार में संभावित बढ़ोत्तरी के बारे में भी बताएंगे।

8. जन जागरूकता

8.1 समुचित सरकार फिल्म एक्सेसिबिलिटी संबंधी आवश्यकताओं तथा एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए उपायों के बारे में जनजागरूकता के लिए कदम उठाएगी-।

8. फिल्म उद्योग को फिल्मों में 2पहुंच सुविधाओं के प्रावधान पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके दर्शकों और बॉक्स ऑफिस राजस्व में वृद्धि होगी, और इस प्रकार पहुंच सुविधाओं पर अतिरिक्त लागत वहन करने का औचित्य सिद्ध होगा

8. फिल्म उद्योग संघ फीचर फिल्मों की 3सुलभ पहुंच के बारे में जनता के बीच प्रचार और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे, जिसमें अपने और अन्य प्लेटफॉर्म पर समयसमय पर घोषणाएं करना-, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड, मुद्रित प्रोग्राम गाइड पर सुलभ कार्यक्रमों को हाईलाईट करना और सुलभ फिल्मों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को लक्षित कर प्रकाशनों में जानकारी प्रदान करना शामिल है। वे अपने सदस्यों के बीच जागरूकता भी उत्पन्न करेंगे ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फिल्में अधिक सुलभ हो सकें, जिससे उनके अपने दर्शकों में इजाफा होगा।

8. सिनेमा मालिक 4दिव्यांग व्यक्तियों के (श्रवण एवं दृश्य बाधित)लिए बने संगठनों के

साथ परामर्श पर अपने ग्राहक सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे कि वे किस प्रकार दिव्यांग ग्राहकों को सेवा प्रदान करें, जिसमें यह बताना भी शामिल है कि वे किस प्रकार सेवाओं तक पहुंच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टिकटों की बुकिंग में सहायता कर सकते हैं, आदि।

9. लक्ष्य और रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ:

9.में कार्यान्वयन अनुसूची में उल्लिखित लक्ष्यों की निगरानी सीबीएफसी 6 पैरा 1, जो समुचित सरकार, फिल्म निर्माताओं और सिनेमा थिएटरों के लाइसेंसधारियों द्वारा खंड 11. 1 के तहत गठित समितिसे परामर्श के अनुसार की जाएगी।

9. 2समुचित सरकार संबंधित विभागों से वार्षिक आधार पर निम्नलिखित जानकारी एकत्र करेगी। इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी को समुचित सरकार की संबंधित विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगाः

क(फिल्मों की एक्सेसिबिलिटी के बारे में जागरुकता बढ़ाने और प्रकाशित करने के (पहुंच) लिए फिल्म उद्योग और सिनेमा उद्योग द्वारा उठाये गए कदम।

ख क्लोज्ड कैप्शनिंग और इंडियन साइन लैंग्वेज/ओपन ,ऑडियो विवरण (इंटरपरेटेशन के प्रावधानों के लिए फिल्म उद्योग और सिनेमा थियटेरों के लाइसेंस धारकों द्वारा श्रव्यबाधित और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संगठनोंं के साथ परामर्श किया गया।

9.सीबीएफसी वार्षिक आधार पर संबंधितों से निम्नलिखित जानकारी एकत्र करेगा। एकत्र 3 की गई जानकारी सीबीएफसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगीः

कप्रमाणित फीचर फिल्मों में प्रदान की गई विभिन्न पहुंच सेवाएं। (

ख ऑडियो (विवरणक्लोज्ड कैप्शनिंग और इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरपरेटेशन की /ओपन/ सटीकता और समकालीन बनाने के लिए सेवा मानकों की गुणवत्ता।

10. शिकायत निवारण

10. 1कोई भी व्यक्ति सिनेमा थियेटरों में पहुंच सुविधाओं की गैरउपलब्धता से असंतुष्ट होने -

पर सिनेमा थियेटरों के लाइसेंसधारक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। दिनों की 30 ,अवधि में लाइसेंसधारक से असंतोषजनक प्रतिक्रिया या कोई प्रतिक्रिया न होने के मामले 11 शिकायतकर्ता नीचे खंड.के तहत गठित समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है। 1 दिनों की अवधि में लाइसेंसिंग प 30 समिति इसे ्राधिकारी के माध्यम से संबोधित कर सकती है।

11. मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन

11.1 फीचर फिल्मों के लिए पहुंच मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक समिति गठित करेगा। समिति में 50% सदस्य श्रव्यदृष्टि बाधित / व्यक्ति और फिल्म उद्योगके प्रतिनिधि होंगे। समिति प्रत्येक तिमाही में अपनी बैठक आयोजित करेगी और इन पहुंच मानकों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देगी।

11. ,के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) समुचित सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों 22016 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित प्रासंगिक समिति के माध्यम से इन पहुंच मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकती है।

*****